


राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2019/682

दिनांक:- 18-7-19

आदेश

मण्डल की 238वीं बैठक दिनांक 30.08.2019 के बिंदु संख्या 238.11 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय अनुसार मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड/प्लिंथ स्तर के आवासीय भूखण्ड/स्केल्टन/संस्थागत भूमि पर मण्डल द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 595 दिनांक 10.08.2018 के अनुसार समय पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के सम्बंध में सभी उप आवासन आयुक्तों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30.11.2019 तक इस तरह के निर्माण की समयावधि बढ़ाई जाने से सम्बंधित प्रकरणों के लिए समस्त आवंटियों को नोटिस जारी करें तथा उनसे आवेदन लिया जावे एवं 30 दिन के भीतर निस्तारण किया जावे। यदि निर्धारित अवधि में कोई आवंटी आवेदन नहीं करता है तो आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जावे। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जावे ताकि कोई आवंटी जानकारी के अभाव में छूट ना जावे।


(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आयुक्त, रा0आ0म0, जयपुर।
2. निजी सहायक, मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, रा0आ0म0, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर।
4. निजी सहायक, सचिव/निदेशक विधि/मुख्य लेखाधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त.....रा0आ0म0,.....।
6. आवासीय अभियंता खण्ड.....रा0आ0म0,।
7. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक